पीएम श्री
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-01, नीमच
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एवं स्वायत्त निकाय
PM SHRI
KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, NEEMUCH
AN AUTONOMOUS BODY UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA
दूरदर्शन टावर के सामने, किला रोड, नीमच (म.प्र.) 458441/Opp. Doordarshan Tower, Kila Road, Neemuch - 458441(M.P.)
दूरभाष/ Phone: (07423)-220233(O)/222919(R)
ई-मेल/ E-Mail: ppl.neemuchcrpf@kvs.gov.in वेबसाइट /Website: https://crpfneemuch.kvs.ac.in
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KV Code 1127 CBSE Affiliation No: 1000009 UDISE Code: 23180720605 CBSE School Code: 54111

फा. क्र. 3-36 /के.वि.क्र.1/नीमच/ 2026-27/611 दिनांक : 22.08.2026

संशोधित निविदा सूचना

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच, नीमच-458441 (म.प्र.), केविसं भोपाल संभाग के केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है, जो कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है। पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच, विद्यालय परिसर में विशेष आयोजनों/शिविर के अवसर पर खानपान / कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत फर्मों से मुहरबंद प्रतियोगी निविदाएं आमंत्रित करता है।

1. विद्यालय में दिनांक 23.09.2026 से 25.09.2026 के दौरान स्काउट-गाइड कार्यक्रम के अंतर्गत स्काउट शिविर प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 250 स्काउट एवं उनके अनुरक्षक भाग लेंगे। इसके अलावा वर्ष भर भी परिवर्तनीय अवधि के अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जिनके लिए खानपान सेवाओं की आवश्यकता है।

2. कैटरिंग अनुबंध शुरुआत में अनुबंध प्रारंभ होने की तिथि से 12 महीने की अवधि के लिए होगा।

3. निविदा देने की इच्छुक फर्मों को अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में डाक / कोरियर / स्वयं के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में जमा करनी होगी। किसी भी अन्य मोड अथवा ईमेल द्वारा भेजी गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्रता मानदंडों आदि के समर्थन में सभी दस्तावेज संलग्न किए गए हैं और निविदा दस्तावेजों के साथ भेजे गए हैं।

4. विनिर्देशों सहित निविदा के लिए इस निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेज पूरी पेशकश के रूप में किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पात्र हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि निविदा स्वीकृति पत्र एक लिखित अनुबंध है, और निविदा के सभी नियमों तथा शर्तों को समझकर, स्वीकार करके हस्ताक्षरित व जमा किया जाना चाहिए।

5. ₹20,000/- (केवल बीस हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि (EMD) नीमच में देय **"VIDYALAYA VIKAS NIDHI (VVN) ACCOUNT NIMACH"** के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय होगी। निविदा के अंतिम निर्धारण के बाद असफल निविदादाताओं / बोली लगाने वालों की बयाना राशि

वापस की जाएगी। सफल बोलीदाता / ठेकेदार की बयाना राशि को धरोहर राशि (Performance Security) के रूप में जमा रखा जाएगा, जिसे अनुबंध समाप्ति के बाद लौटा या समायोजित कर दिया जाएगा।

6. इच्छुक पार्टियां किसी भी कार्य दिवस में विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर सकती हैं। वे विद्यालय के टेलीफोन नंबर 07423-220233 पर भी संपर्क कर सकती हैं तथा कार्य की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

7. निविदा फ़ॉर्म में सभी प्रविष्टियां सुपाठ्य और स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए। यदि प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अलग पत्र संलग्न किया जा सकता है। निविदा पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / कटिंग / सुधार नहीं किया जाना चाहिए।

8. सशर्त बोलियों (Conditional Bids) पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9. निविदा दिनांक 01.09.2026 को प्रातः 10:00 बजे निर्धारित तिथि और समय पर विद्यालय में खोली जाएगी।

10. निविदा का मूल्यांकन प्राचार्य, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

11. निविदा खोलने के बाद किसी भी फर्म को अपनी निविदा वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि निविदा खोलने के बाद कोई फर्म निविदा वापस लेती है, तो उसकी EMD राशि जब्त कर ली जाएगी।

12. प्राचार्य, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के पास किसी भी समय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बिना कोई कारण बताए निविदा दस्तावेज़ में निहित किसी भी नियम और शर्त को हटाया या जोड़ा जा सकता है |

13. निविदा दस्तावेज वेबसाइट https://crpfneemuch.kvs.ac.in से दिनांक 13.08.2026 से डाउनलोड किए जा सकते हैं और ₹20,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (EMD) **"VIDYALAYA VIKAS NIDHI (VVN) ACCOUNT NIMACH"** के पक्ष में निविदा के साथ जमा किया जाना आवश्यक है।

24/8/26
(प्राचार्य)

प्राचार्य / PRINCIPAL
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र. 01 / PM SHRI Kendriya Vidyalaya No.1
नीमच (म.प्र.) / NEEMUCH (M.P.)

निविदा सूचना एक नजर में

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच, नीमच-458441 (म.प्र.) अपने परिसर में सितम्बर 2026 में आयोजित स्काउट शिविर में तथा अन्य विशेष अवसरों पर खानपान सेवाएं प्रदान करने हेतु पात्र फर्मों / केटरर्स से डाक/कोरियर/स्वयं के माध्यम से निविदा आमंत्रित करता है.

महत्वपूर्ण तिथियां

निविदा दस्तावेज प्रकाशित करने की तिथि	13.08.2026
विद्यालय में निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31.08.2026 दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	01.09.2026 प्रातः 10.00 बजे

अन्य अतिरिक्त जानकारी एवं निविदा का पूर्ण संदर्भ विद्यालय की वेबसाइट https://crpfneemuch.kvs.ac.in से प्राप्त किये जा सकत हैं या व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्य दिवस पर इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है|

(प्राचार्य)

प्राचार्य / PRINCIPAL
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र.01 / PM Shri Kendriya Vidyalaya No.1
नीमच (म.प्र.) / NEEMUCH (M.P.)

निविदादाताओं के लिए सामान्य जानकारी

1. योग्यता शर्तें

खानपान के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले कैटरर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षरयुक्त निम्न लिखित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रपत्र संलग्न करें

1. दुकान/ प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र।

2. केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य कोई दस्तावेजी प्रमाण।

3 . GSTIN एवं पैन कार्ड की कॉपी

4 . वैध खाद्य सुरक्षा और मानक लाइसेंस

2. बोलियां जमा करना:

निविदा देने की इच्छुक फर्मों को निविदा मुहरबंद कवर / लिफाफे में डाक/कोरियर/स्वयं के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में जमा करना होगा। किसी भी अन्य मोड द्वारा भेजे गए निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। पात्रता मानदंडों आदि के समर्थन में सभी दस्तावेज भी संलग्न किए जायें और निविदा दस्तावेजों के साथ भेजे जायें। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तारीख और समय की समाप्ति के बाद कोई निविदा दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निविदा में अनुलग्नक -1 से 3 तक दिये गए प्रारूप के अनुसार प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ जानकारियां होनी चाहिए.

निविदा के सभी पृष्ठ क्रमांकित एवं अनुक्रमित किए जाएंगे तथा संपूर्ण दस्तावेज को अंतिम निविदा दस्तावेज के रूप में माना जाएगा।

ईएमडी के रूप में जमा 20000/ - रूपए की डिमांड ड्राफ्ट/चेक (वापसी योग्य)

4. दरें:

प्रारूप के अनुसार निविदा की दरें रुपये में लिखी जायें। दर में सभी कर शामिल होंगे और अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी बदलाव / संशोधन के अधीन नहीं होंगे। मेनू में बदलाव (जोडना/ घटाना) और नई वस्तुओं की दरें प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच एवं ठेकेदार की परस्पर सहमति से तय होगी। ठेके की परिचालन अवधि में दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

5. बयाना राशि जमा

1) "VIDYALAYA VIKAS NIDHI (VVN) ACCOUNT NIMACH " के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ईएमडी राशि स्वीकार की जाएगी। ईएमडी के बिना बोली को रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा ईएमडी जब्त की जा सकती है यदि बोलीदाता बोली की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या सफल बोलीदाता इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं;

(iii) सफल बोलीदाता को कार्यादेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर असफल बोलीदाताओं की EMD वापस कर दी जाएगी। EMD पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6. कार्य निष्पादन प्रतिभूति

सफल बोली लगाने वाले को रुपये 20,000/ की राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा। कार्य निष्पादन प्रतिभूति नीमच में देय **"VIDYALAYA VIKAS NIDHI (VVN) ACCOUNT NIMACH "**के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। अनुबंध के तहत ठेकेदार के कार्य निष्पादन के बाद 60 दिवस में वापस दे दी जाएगी। संविदा के अन्तर्गत अनुबंध की अवधि के दौरान दायित्वों के न पूरा करने या शर्तों का अनुपालन न करने पर उपरोक्त कार्य निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा ।

7. अनुबंध की अवधि

अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए होगा.

8. बोली का स्वीकृति / समापन

प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और किसी भी समय बिना किसी कारण बताए अनुबंध के आदेश से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

9. मूल्यांकन

मूल्यांकन विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा दिए गए वित्तीय प्रस्ताव पर आधारित होगा जो प्रस्ताव में उद्धृत सभी दरों एवं अन्य योग्ताओं के योग पर आधारित होगा।

यदि शब्दों और गिनती में कोई अंतर पाया जाता है तो शब्द में लिखी गयी राशि मान्य होगी। अप्रभावी बोली पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

निविदा का मूल्यांकन तकनीकी पात्रता एवं वित्तीय बोली के आधार पर किया जाएगा। केवल तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। सामान्यतः न्यूनतम मूल्य वाली पात्र बोली (L1) पर विचार किया जाएगा, तथापि विद्यालय को गुणवत्ता, अनुभव, सेवा क्षमता एवं अन्य वैध कारणों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार रहेगा ।

10. अनुबंध का आदेश

क) कार्य आदेश का निर्गमन सफल बोलीदाता के साथ प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को संविदा करने हेतु इच्छुक माना जाएगा।

बी) सफल बोलीदाता जारी आदेश के 07 दिनों के भीतर, कार्य निष्पादन प्रतिभूति और संविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर के साथ अपनी स्वीकृति देगा।

11. अनुबंध को हस्ताक्षरित करना

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बोलीदाता को कार्यआदेश मिल जाएगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने से प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को अनुबंध रद्द करने का पर्याप्त आधार प्राप्त होगा और दूसरे बोलीदाता के पक्ष में कार्यआदेश देने का अधिकार होगा।

12. निविदा में छूट / संशोधन

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के समग्र हित में अनुबंध को अंतिम रूप देने के उद्देश्य के लिए आवश्यक होने पर, किसी भी स्तर पर निविदा शर्तों को छूट / संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा के नियमों और शर्तों को फिर से निविदा या संशोधित करने का अधिकार होगा। यह निम्नतम बोलीदाता के साथ दरों पर बातचीत करने के अधिकारों को भी सुरक्षित रखता है। कोई भी कारण बताए बिना, किसी भी या सभी वित्तीय बोलियों को पूर्ण या पूर्ण रूप से स्वीकार करने या न करने का अधिकार होगा चाहे वे या सबसे कम हो।

13. अनुबंध की समाप्ति, स्वामित्व की समाप्ति आदि।

I) प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच बिना कारण बताये किसी भी समय एक महीने का नोटिस देकर संविदा समाप्त करने का अधिकार रखता है। इस संबंध में प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। ठेकेदार यदि ऐसा चाहता है तो वह दो माह की लिखित नोटिस देकर अपनी तरफ से संविदा को समाप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

ii) अनुबंधित कार्य की अवधि की समाप्ति पर ठेकेदार को बिना किसी परिवाद के पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच प्रांगण का परिसर खाली करना होगा।

iii) प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा प्रदत किसी भी फनीचर व फिक्चर को हुई क्षति या नुकसान के लिए ठेकेदार से उसकी लागत वसूल की जाएगी जिसके लिए प्रतिभूति राशि में आवश्यक कटौती की जा सकती है।

iv) यदि ठेकेदार द्वारा संविदा की किसी भी शर्त का अनुपालन नही किया जाता है तो ठेका स्वत: समाप्त हो जाएगा।

v) यदि ठेकेदार दिवालीया हो जाता है तो संविदा रद्द मानी जाएगी और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों / प्रतिनिधियों अथवा उत्तरजीवियों का किसी अधिकार के लिए कोई दावा नहीं होगा।

14.निकट रिश्तेदारों की असहभागिता:

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच में खान पान सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जिन कर्मचारियों को संलग्न किया जाएगा वे पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के कर्मचारियों के नजदीकी रिश्तेदार न होंगे.

15. वैधानिक दायित्व

क) सफल बोलीदाता / ठेकेदार प्रासंगिक कानूनों के तहत केटरिंग के लिए आवश्यक सभी आवश्यक लाइसेंस या अन्य अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और कानून के अनुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त न करने के लिए वह सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। उसे पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करनी होगी। और किसी भी अन्य कानून, नियम, दिशानिर्देश आदि जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं या जो कि इस समझौते की तारीख के बाद केंद्रीय / राज्य सरकार या नगरपालिका / स्थानीय स्व-सरकारी अधिकारियों द्वारा पेश किए जा सकते हैं।

ख) ठेकेदार पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को सभी भूल- चूक, उल्लंघनों और / या किसी भी नुकसान, क्षति , खर्च के दावे की क्षतिपूर्ति करेगा जो कि विद्यालय को उसकी त्रुटियों व दायित्वों को पूरा न करने के कारण हो सकती हैं। जिसकी भरपाई के लिए पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच प्रतिभूति जमा से वसूली करने के लिए स्वतंत्र होगा। ठेकेदार द्वारा किसी वैधानिक उत्तरदायित्व के उल्लेघंन या भूलचूक के लिए विद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा और उसके लिए कोई परिवाद का भागी नहीं होगा। इस समझौते के दौरान और उसके बाद से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना के मामले में, प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए या किसी अन्य कानून के तहत जिम्मेदार नहीं होगा। नुकसान या मुआवजे के बदले भुगतान के लिए ठेकेदार की पूरी जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार के साथ लगे व्यक्ति को ठेकेदार के अपने कर्मचारियों के रूप में माना जाएगा और प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच से कोई विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। किसी भी कानूनी या वित्तीय निहितार्थ तथा मजदूरी, वर्दी, सामान्य अनुशासन और विनम्र व्यवहार के संबंध में ठेकेदार अपने कर्मचारियों के प्रशासन के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे।

ग) ठेकेदार रसोई के उपकरण सहित खानपान सेवाओं के लिए अपनी परिसंपत्तियों / वस्तुओं के लिए दुर्घटना, अग्नि तथा अन्य जोखिम के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

घ) सरकार को देय सभी कर / लेवी / फीस शुल्क विभाग / स्थानीय निकाय को ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाएगा और ऐसे किसी दावे के लिए पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।

16. विवादों का समाधान

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच और केटरर अनुबंध के संदर्भ में आपस में दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों व असहमतियों को सीधे अनौपचारिक बातचीत के द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाएंगे।

यदि ऐसे अनौपचारिक वार्ता के प्रारंभ से तीस (30) दिनों के बाद, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच और केटरर सौहार्दपूर्ण रूप से एक अनुबंध विवाद को हल करने में असमर्थ हैं, तो प्राचार्य, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच अपने विवेक से किसी व्यक्ति को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर सकते हैं, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर अंतिम व बाध्य होगा। ,

मध्यस्थता का स्थान वह स्थान होगा जहां से संविदा निर्गत है।

(प्राचार्य)

प्राचार्य / PRINCIPAL
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र. 01 / PM SHRI Kendriya Vidyalaya No.1
नीमच (म.प्र.) / NEEMUCH (M.P.)

निर्दिष्टीकरण, नियम और शर्तें   अनुलग्नक – 1

1. बोलीदाता निर्दिष्ट निविदा प्रपत्र में पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच में खानपान सेवा प्रदान करने के लिए दरों का उद्धरण करेगा।

(ए) बोलीदाता अनुलग्नक -II में दिखाए गए मेनू के लिए निविदा बोली में "प्रति व्यक्ति प्रति दिन" के आधार पर दरों का उद्धरण करेगा। दरों में उचित सर्विसिंग से जुड़े सभी कार्यों और वस्तुओं, गैस आदि ईंधन सहित सभी कच्चे सामग्रियों की लागत शामिल है, जैसे खाना पकाने व खिलाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले उपयोगी बर्तन ठेकेदार द्वारा प्रदान किये जाएगें। समय-समय पर लागू सभी करों को बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(बी) प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के अनुरोध के अनुसार, सहमत दरों पर विशिष्ट मेनू के अनुसार ठेकेदार द्वारा दोपहर का भोजन / रात्रिभोज / नाश्ते की सेवा के लिए दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। विशिष्ट मेनू में प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त वस्तुएं प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा ठेकेदार के परामर्श से तय की जाएंगी।

2. ठेकेदार अनुलग्नक II के अनुसार मेनू का पालन करेगा और प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच से निर्देश प्राप्त करेगा जो मेहमान / प्रतिभागियों की जरूरतों के अनुरूप मेनू को संशोधित कर सकते हैं। लिखित मंजूरी के बिना ठेकेदार द्वारा मेनू में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

3. ठेकेदार द्वारा बिजली का उपयोग खाना पकाने के साथ-साथ पानी उबलने के लिए नहीं किया जा सकेगा।

4. ठेकेदार द्वारा स्वंय क्रॉकरी, कटलरी, टेबल क्लॉथ, बर्तन और रसोई उपकरणों और पाककला रेंज की व्यवस्था की जाएगी और पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच इस उद्देश्य के लिए कोई मद प्रदान नहीं करेगा। ठेकेदार अपने स्वंय के एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था करेगा और एलपीजी का उपयोग अपनी लागत पर करेगा।

ठेकेदार काम करने के क्रम में सभी रसोई उपकरणों को लाएगा और उसके रखरखाव और उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

5. ठेकेदार भोजन बनाने एवं प्रदान करने के दौरान अच्छी गुणवत्ता के उचित बर्तन का उपयोग करेगा।

6. ठेकेदार इस अनुबंध को उप अनुबंध पर या किसी और के लिए नहीं छोड़ देगा। ठेकेदार उनके द्वारा या उनके कर्मचारियों द्वारा स्थापित फिकचर्स और फिटिंग में होने वाले टूट-फूट या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा और उसे अपनी लागत पर ठीक कराना होगा।

7. ठेकेदार विद्यालय समिति / अधिकारियों / प्रतिनिधियों द्वारा बुलायी गयी नियतकालिक बैठक में भाग लेगा और स्वीकृत सुझावों, यदि कोई हो, को लागू करेगा।

8. ठेकेदार नीचे दिये गये समयानुसार, अनुलग्नक - II में दिये गये मेनू के अनुसार बेड टी, ब्रेक-फास्ट, दोपहर का भोजन, शाम की चाय और डिनर प्रदान करने की व्यवस्था करेगा:

1. बेड टी/चाय: 06:00 से 6:30 बजे तक
2. सुबह का नाश्ता 7.00 बजे से 8:30 बजे तक

3. दोपहर के भोजन से पूर्व चाय: 11:00 से 11:15 बजे तक
4. दोपहर का भोजन: 1.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे
5. दोपहर के भोजन के बाद की चाय: 4.00 बजे से शाम 4.15 बजे तक
6. रात्रिभोजन: 7.30 बजे से 8.30 बजे तक
7. रात्रि में फ्लेवर दूध: रात्रि 9.30 बजे
8. पैक्ड लंच / डिनर: (आवश्यकता के अनुसार) उपलब्ध कराया जाएगा

नोट: पूर्व सूचना के साथ प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के विवेकानुसार उक्त समय बदला जा सकता है।

9. ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर अच्छी गुणवत्ता का आटा, चावल, किराना, दालें, खाद्य तेल, सब्जियों, फल और गैर-शाकाहारी आदि और अन्य वस्तुओं की खरीद करेगा। ठेकेदार केवल प्रतिष्ठित ब्रांडों की मानक वस्तुओं का उपयोग करेगा। इन वस्तुओं का पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच या इसकी अधिकृत समिति द्वारा सूचना दिये बिना किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है, और इसकी सिफारिशें अंतिम होंगी और ठेकेदार द्वारा स्वीकार्य होंगी।

10. कैटरिंग स्टाफ का व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कैटरिंग स्टाफ को अविलंब ठेकेदार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

11. खाना पकाने के दौरान रसोइयों को टोपी पहनना आवश्यक होगा। खाना पकाने / सेवा के लिए नियोजित कर्मचारियों की सफाई और स्वच्छता असाधारण स्तर का होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा किसी भी दूषित रोग से पीडित कर्मचारी को तत्काल हटाया जाएगा।

12. ठेकेदार खाना पकाने के लिए केवल एलपीजी गैस का उपयोग करेगा। किसी भी परिस्थिति में, ठेकेदार को केरोसिन तेल, लकड़ी या किसी अन्य ईधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जो धुंऐ और खराब गंध का उत्सर्जन करता है।

13. बोलीदाता पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा प्रदान की गई जगह पर ही आवश्यक खाद्य वस्तुओं का भंडारण करेगा और खाना तैयार करेगा.

14. आयोजन पूरा होने के बाद जाने वाले अतिथि / सहभागियों के लिए अनुलग्नक-II में दिए गए मेनू के अनुसार और निविदा में कैटरर द्वारा उद्धृत दरों पर भोजन प्रदान करना होगा।

15. विशेष आयोजन के पूरा होने के एक हफ्ते के भीतर ठेकेदार द्वारा पूरी अवधि के लिए बिल जमा कराया जाएगा।

16. विद्यालय की समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक दिन के लिए सेवा का आंशिक भुगतान किया जा सकता है.

17. ठेकेदार प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों द्वारा भोजन की गुणवत्ता और इसकी तैयारी की प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए तैयार रहेगा।

18. ठेकेदार केंद्रीय / राज्य सरकार के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा और अपने कर्मचारियों के संबंध में पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

19. फर्श, दीवार, छतों, डाइनिंग हॉल, रसोई और हाथ धोने वाले क्षेत्रों में ठेकेदार द्वारा स्वच्छता बनायी रखी जाएगी ।

20. कैटरिंग सर्विसेज के ठेकेदार पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के अधिकारियों के निर्देश के अनुसार नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना आदि पकाना और खिलाना, मैस क्षेत्र और परिवेश की सफाई, बर्तन का रखरखाव और उचित सफाई, खाद्य पदार्थों को स्वच्छ परिस्थितियों में संग्रहीत करना इत्यादि सेवाएं प्रदान करेंगे।

21. पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के मेनू के अनुसार आइटम को पकाया जाना चाहिए। समय का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

22. साफ- सफाई व्यवस्था: खाना बनाने और परोसने के क्षेत्र की सफाई के लिए ठेकेदार द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों को नियोजित करना होगा। ठेकेदार द्वारा सफाई के लिए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग अपनी लागत पर किया जाएगा।

23. बर्तन को गर्म पानी और उचित डिटर्जेंट का उपयोग करके एंटीसेप्टिक तरल युक्त पोटेशियम Permanganate में धोया जाये। फर्श, दीवारों और छत की साफ-सफाई को बनाए रखना होगा। फर्नीचर को पूरी तरह साफ रखना होगा

24. ठेकेदार द्वारा खाद्य सामग्री को स्वच्छता के साथ तैयार किया जाए एवं स्वच्छ परिस्थितियों में रखा जाना चाहिए।

25. ठेकेदार द्वारा निविदा की किसी भी शर्त के उल्लंघन और उसके कारण पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई ठेकेदार के बिल या सुरक्षा जमा राशि से राशि वसूल किया जा सकता है।

26. पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के अधिकारी द्वारा नामित टीम आवश्यकता अनुसार औचक निरीक्षण कर सकती है। खाने की गुणवत्ता / मात्रा में किसी भी प्रकार की कमी पाने जाने पर बोलीदाता संविदा की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा और कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।.

27. यदि ठेकेदार सौंपे या उसके किसी भाग को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच ठेकेदार के बिल से यथोचित कटौती करने के लिए अधिकृत होगा और नुकसान की पूर्ण सीमा तक चार्ज वसूल किया जाएगा।

28. गेस्ट / प्रतिभागियों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार खाद्य सामग्री पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच अधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होगी और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

29. ठेकेदार तथा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारी सभी अतिथि /प्रतिभागियों के प्रति व्यवहार में विनम्र रहेंगे।

30. ठेकेदार पर्याप्त मात्रा में रसोइयों एवं अन्य सहायक स्टाफ को तैनात करेगा जिससे किसी भी प्रकार की शिकायत न प्राप्त हो।

31. प्राचार्य, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच सबसे कम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अत्यावश्यकता और आवश्यकता के आधार पर एक से अधिक बोलीदाता को काम करने को

अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, ठेकेदार बोर्डिंग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई दावा नहीं करेगा, जिनके लिए पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच में सेवाएं दी जाएंगी।

32. अगर किसी भी कोर्ट / नगरपालिका या सरकार द्वारा ठेकेदार के खिलाफ खाद्य व्यभिचार अधिनियम, 1952 के प्रावधान या ऐसी किसी भी कानून / नियम या प्रावधानों के अंतर्गत कोई कार्यवाही शुरू की जाती है तो ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार होगा।

33. भुगतान वास्तविक रूप से भोजन प्राप्त करने वाले/विद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

निविदा **दस्तावेजों** की चेक लिस्ट

क्र. सं.	विवरण (दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में / प्रमाण पत्र आदि)	हां / नहीं लिखें
1	आवश्यक बयाना जमा (ईएमडी) की राशि (डीडी के रूप में) 20000 / -(वापसी योग्य)	
2	फर्म के पंजीकरण या स्थापना प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि	
3	पैन नंबर की कॉपी	
4	जीएसटी के लिए फर्म के पंजीकरण की कॉपी	
5	बैंक पास बुक / स्टेटमेंट की प्रतिलिपि जिसमें निविदाकर्ता के बैंक का नाम और पता और उसका खाता नंबर निर्दिष्ट किया गया है	
6	राज्य सरकार / केंद्र सरकार से वैध खाद्य सुरक्षा और मानक लाइसेंस की प्रति	
7	सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य दस्तावेजी प्रमाण की प्रतिलिपि	

** सभी लाइसेंस/पंजीयन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को वैध होना चाहिए।

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की मुहर के साथ

अनुलग्नक- II

आवश्यकताओं और विशिष्टताओं का मेनू-सह-अनुसूची

1. ठेकेदार / कैटरर को भोजन / मेनू तैयार करने के लिए अच्छी गुणवत्ता / एगमार्क / आईएसआई मार्क खाद्य तेल, खाद्य वस्तु, दूध और दूध उत्पाद, मसालों, अनाज, दलहन और मिनरल वाटर आदि की गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

2. निविदा दस्तावेज में कैटरर द्वारा उद्धृत किए जाने वाले वस्तुओं का विवरण मेन्यू की मात्रा-वार के साथ-साथ न्यूनतम दर का विवरण भी देना होगा।

आइटम/भोजन / मेनू इत्यादि का विवरण:

क्र. सं.	आइटम (Items)	आइटम/सामग्री एवं मात्रा (Items/Materials & Quantity)
1	बेड टी	1. एक कप चाय (150 ML)
2	ब्रेकफास्ट (नाश्ता)	1. दूध – 200 मिली या अधिक 2. ब्रेड (बटर और जैम के साथ) एवं स्प्राउट्स (मूंग /चना /मूंगफली /राजमा /सोयाबीन) 3. इडली और वड़ा (सांभर और चटनी के साथ) / दलिया / पोहा (कोई एक) या आलू परांठा, दही और अचार या पूरी और सब्जी 4. दो केले या एक सेब (100-150 ग्राम) अथवा मौसमी फल
3	रिफ्रेशमेंट(सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक) (केवल अधिकारियों के लिए)	1. पैक्ड फ्रूट जूस (100-150 मिली) या चाय और बिस्कुट (मानक गुणवत्ता वाले ताजा बेक्ड /मिश्रित बिस्कुट)
4	लंच और डिनर(दोपहर और रात का भोजन)	1. चपाती (तवा/तंदूर आदि) 2. चावल / वेज पुलाव 3. दाल / राजमा / छोले (कोई एक) 4. मिक्स वेज (मौसमी) / कोफ्ता / बेसन करी 5. पनीर सब्जी ***(लंच और डिनर में निम्नलिखित आइटम अनिवार्य हैं)** 6. सूप (टोमैटो / वेजिटेबल) 7. सलाद और अचार (मिक्स) 8. पापड़ (ब्रांडेड) – तला हुआ / भुना हुआ 9. दही / रायता (वेजिटेबल या बूंदी) 10. मीठी डिश (डिनर में) तथा फ्रूट कस्टर्ड/खीर/फल – सेब/संतरा/किन्नू (लंच में)
5	रिफ्रेशमेंट(शाम 5:00 से 5:30 बजे तक)	1. जूस (पैक्ड 100-150 मिली) या चाय और बिस्कुट (मानक गुणवत्ता वाले ताजा बेक्ड /मिश्रित बिस्कुट) 2. स्नैक्स – (सैंडविच / समोसा / आलू बोंडा / पनीर पकोड़ा / पैटीज़) 02 पीस या अधिक (100-150 ग्राम)
6	सोने के समय(बेड टाइम)	1. दूध (200-250 मिली) या आइसक्रीम (40-50 मिली) उपलब्धता/मौसम के अनुसार।
7.	**पैक फूड - लंच / डिनर (कार्ड बोर्ड बॉक्स में) आवश्यकतानुसार**	1. पूरी – 125 ग्राम (कुल 08 नग), 2. मौसमी सब्जी 100 ग्राम – आलु / भिंडी / अन्य 3. अचार 4. सलाद 5. नमकीन 50 ग्राम के पैकेट में

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की मुहर के साथ

निविदा के लिए प्रारूप

अनुलग्नक -III

सेवा में

प्राचार्य

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच

विषय: पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच में कैटरिंग सर्विसेज प्रदान करने के लिए निविदा।

महोदय,

आपके कैटरिंग निविदा के संदर्भ में, मैं मांगे गये अपेक्षित विवरण / सूचना के अनुसार एतदद्वारा अपनी फर्म और बोली के बारे में अन्य विवरण निम्न प्रस्तुत करता हूं:

निविदा दरों का विवरण:

क्र.सं.	भोजन / खानपान के सामान	दर (रुपए में) सभी करों सहित
1	बेड टी	
2	सुबह का नाश्ता	
3.	दोपहर का भोजन	
4	दोपहर की हाई टी	
5.	रात्रि भोजन	
6	सोने के समय का दूध /आइसक्रीम	
	कुल	

* उक्त सभी दरें अनुलग्नक -II के अनुसार

निम्न कैटरिंग सेवाओं का मूल्य भी दिया जा रहा है साथ ही मुझे ज्ञात है कि इनके आधार पर निविदा की तुलना नहीं की जायेगी।

1.	पैक्ड लंच / डिनर	
2.	रिफ्रेशमेंट(सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक) (केवल अधिकारियों के लिए)	

- मैं एतदद्वारा यह वचन देता हूं कि यदि हमारी बोली स्वीकार की जाती है तो मैं निविदा की सभी शर्तों का पालन करते हुए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करूंगा.
- यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी झूठ / गलत है, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच के पास मुझ पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा I

दिनांक:

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

फर्म की मुहर के साथ

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र.01 नीमच (म.प्र.) PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA No.1 NEEMUCH (M.P.)